

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 12/2017-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ) .-- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के साथ पठित, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 की उपधारा (xiii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित करती है कि एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 20 की उपधारा (xiii) के अधीन अनुपयोजित इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय को केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम की अनुसूची 2 की मद 5 की उपमद (ख) में विनिर्दिष्ट सेवा की पूर्ति की दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.334/1/2017-टीआरयू]

(रुचि विष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार